न्यायालय– विशेष न्यायाधीश (E.C. Act), फतेहपुर।
अन्तिम रिपोर्ट संख्या–95 सन 2024
उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** अजय कुमार गुप्ता

13.07.2024

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में कोई देयता शेष न होने के कारण विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी। उक्त अन्तिम रिपोर्ट पर वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी। वादी मुकदमा न्यायालय में उपस्थित आया तथा उसके द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसे अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत मामले में कोई देयता शेष न होने के कारण विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है तथा मामला शमनीय प्रकृति का है। वादी मुकदमा द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होना कहा गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत मामले में प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अविजित भूषण)
विशेष न्यायाधीश (E.C. Act),
फतेहपुर।
JO CODE UP 3831

Digitally signed by AVIJIT BHUSHAN
Date: 2024.07.19 23:56:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court